

डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मु0न0 - 44 / 2025

अनवान :-

1. भूपसिंह पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा।
2. पालाराम पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा।
3. रमेश पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा।
4. जगदीश पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा।
5. सावित्री पत्नी प्रतापसिंह जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा।
6. सुमित्रा पुत्री प्रतापसिंह जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा।

:-वादीगण

वनाम्

- 1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
- 2 रामस्वरूप पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा।

:-प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विक्रम शर्मा व प्रतिवादी सं0 2 संजय गोस्वामी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 15 एएमएस के खाता सं0 101/102 के मु0 न0 5 के किला न0 23 ता 25, मु0 न0 11 के किला न0 6/1, 6/2, 7, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 24, 25/1, 25/2, मु0 न0 12 के किला न0 1 ता 25 कुल रकबा 9.108है0 नहरी मय खाला खातेदारी में वादी भूपसिंह पुत्र पतु के स्थान पर भूपसिंह पुत्र हेतराम 5/36 हिस्सा यानि 1.265है0, व पालसिंह पुत्र पतु के स्थान पर पालाराम पुत्र हेतराम 5/36 हिस्सा यानि 1.265है0 व राजस्व रिकार्ड में से प्रतापसिंह पुत्र पतु का नाम कलमजन किया जाकर उनके कानूनी व जायज वारिसान वादी सं0 3 ता 6 क्रमश रमेश, जगदीश व सावित्री पत्नी प्रतापसिंह, सुमित्रा पुत्री प्रतापसिंह को संयुक्त रूप से 1/9 हिस्सा अर्थात 1.012है0 के अनुसार खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे एवं यदि कृषि भूमि बैंक रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। तथा यदि पूर्व में किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि भूपसिंह, पालसिंह पुत्रान पतु के नाम से हो तो उसके लिए पूर्व नाम भूपसिंह, पालसिंह पुत्रान पतु ही लागू होगा। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपवादित खाता का नोट हटाया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(कल्पित शिवरान)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) R.A.S  
भादरा, जिला हनुमानगढ़